भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 4214**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की स्थिति

4214. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारत-यूके एफटीए के अंतर्गत किन प्रमुख क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है और द्विपक्षीय व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है:

(ग) अन्य देशों या क्षेत्रीय समूहों के साथ चल रही एफटीए या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) वार्ताओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को संरक्षण देते हुए एफटीए से भारत के आर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने दिनांक 6 मई, 2025 को भारत-ब्रिटेन एफटीए वार्ता के सफल समापन की घोषणा की थी। व्यापार समझौते, जिसे व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता (सीईटीए) नाम दिया गया है, पर दिनांक 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। सीईटीए ब्रिटेन को भारत के निर्यात के लिए लगभग 99 प्रतिशत अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करता है। इसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र, श्रम-प्रधान क्षेत्र जैसे कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, और खिलौने के साथ-साथ उच्च-विकास वाले क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो घटक आदि शामिल हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई का सशक्तिकरण होगा। सेवा क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सशक्त चालक है, को व्यापक लाभ भी होगा । यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं वित्तीय और कानूनी सेवाओं, पेक्षेवर और शैक्षिक सेवाओं और डिजिटल व्यापार में अधिक से अधिक बाजार पंहुच प्रदान करता है। भारतीय पेशेवर, जिनमें सभी सेवा क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा

ब्रिटेन में काम करने के लिए तैनात भारतीय पेशेवरों, आर्किटेक्ट, इंजीनियरों, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकार जैसे अनुबंध पर तैनात पेशेवर, सरलीकृत वीज़ा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभान्वित होंगे, जिससे ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। भारत ने डबल कान्ट्रब्यूशन कंवेशन पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। इस समझौते को व्यापार को अधिक समावेशी बनाने के लिए तैयार किया गया है। महिलाओं और युवा उद्यमियों, किसानों, मछुआरे, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत परिपाटियों को बढ़ावा देने और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित है। सीईटीए से आने वाले वर्षों में व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने, रोजगार सृजन होने, निर्यात का विस्तार और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक गहरे, अधिक लचीले आर्थिक संबंधों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसे वर्ष 2030 तक इस आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3 पर देखा जा सकता है ।

(ग): **भारत वर्तमान में निम्नवत व्यापारिक साझेदारों के साथ एफटीए वार्ता में नियोजित** है :

क्र. सं.	**समझौते का नाम**
1	भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (वार्ता पूर्ण हो चुकी है)
2	भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (इंड-ऑस ईसीटीए का विस्तार)
3	भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता
4	भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता
5	भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता
6	भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता
7	भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता
8	भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
9	आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) (समीक्षा)
10	भारत-कोरिया सीईपीए (समीक्षा)

(घ): वाणिज्य विभाग निरंतर आधार पर व्यापार समझौतों संबंधी वार्ता और समीक्षा करता है। नई एफटीए वार्ता शुरू करने से पहले, प्रस्तावित एफटीए की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया जाता है, जिसमें घरेलू उद्योग पर उनका प्रभाव भी शामिल है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ता के सभी चरणों में व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए जाएं। इसमें समझौतों के कार्यान्वयन के दौरान पूर्व-वार्ता चरण, वार्ता के प्रत्येक चरण और समापन के बाद का चरण शामिल है। इन क्षेत्र-विशिष्ट परामर्शों के माध्यम से, वार्ता के दौरान किसानों, एमएसएमई आदि की घरेलू संवेदनशीलता और हितों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। एफटीए का उद्देश्य उद्योग, किसानों, एमएसएमई के लिए लाभ सृजित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। एफटीए पर निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर एक व्यापक, संतुलित, व्यापक-आधारित और न्यायसंगत समझौता करने के प्रयास के साथ एफटीए पर वार्ता की जाती है । यह भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापारिक साझेदारी देशों में अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ समान अवसर भी सुनिश्चित करता है।

इस संरचित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, वाणिज्य विभाग व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और व्यापार एवं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए उच्चारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ निरंतर रूप से नियोजित है।

घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्करण सूचियों को बनाए रखने का प्रावधान करता हैं जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायतें नहीं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को नुकसान होने की स्थिति में, किसी देश को एफटीए के तहत पक्षोंकारों द्वारा परस्पर सहमत अवधि के भीतर एंटी-डंपिंग और आयात संबंधी-संरक्षोपाय जैसे व्यापार उच्चारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। एफटीए में व्यापार में तकनीकी बाधाओं संबंधी प्रावधान शामिल हैं ताकि दोनों पक्षों के मानकों, तकनीकी विनियमों और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों के बारे में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके।

******